

प्रेषक,
देवेश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद बिलासपुर, जनपद-रामपुर।
- 2- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद बलरामपुर, जनपद-बलरामपुर।
- 3- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद बिलासपुर, जनपद-गौतमबुद्धनगर।
- 4- अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत सिवालखास, जनपद-मेरठ।
- 5- अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत छाता, जनपद-मथुरा।
- 6- अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत मीरापुर, जनपद-मुजफ्फरनगर।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 09 जनवरी, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में सीवरेज एवं जल निकासी योजना के अंतर्गत निम्नलिखित 06 निकायों में विभिन्न स्थानों पर जल निकासी से संबंधित कार्य हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सेक्टर कार्यक्रम के सीवरेज एवं जल निकासी योजनान्तर्गत निम्नलिखित 06 निकायों में विभिन्न स्थानों पर जलनिकासी से संबंधित कार्य हेतु क्रमशः शासनादेश दिनांक 25.11.2024 द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि का व्यय हो जाने के दृष्टिगत द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में प्रस्तावित **रूपये 557.34 लाख (रूपये पांच करोड़ सत्तावन लाख चौतीस हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रूपये लाख में)

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश | स्वीकृत धनराशि | निविदा की धनराशि | अब तक कुल अवमुक्त धनराशि | अवशेष धनराशि | अवमुक्त की जा रही धनराशि |
|------------|--|--|----------------|------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | नगर पंचायत सिवालखास, जनपद-मेरठ में विभिन्न स्थानों पर आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य | संख्या-415/2024/नौ-5-2024/001-Com.No.-1871401, दिनांक 25.11.2024 | 197.92 | 196.80 | 100.00 | 96.80 | 96.80 |
| 2 | नगर पंचायत छाता, जनपद-मथुरा में विभिन्न स्थानों पर आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य | - तदैव - | 199.16 | 198.99 | 100.00 | 98.99 | 98.99 |
| 3 | नगर पंचायत मीरापुर, जनपद-मुजफ्फरनगर में विभिन्न स्थानों पर आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य | - तदैव - | 199.66 | 198.10 | 100.00 | 98.10 | 98.10 |
| 4 | नगर पालिका परिषद बिलासपुर, जनपद-रामपुर में विभिन्न स्थानों पर आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य | - तदैव - | 122.25 | 122.03 | 61.00 | 61.03 | 61.03 |
| 5 | नगर पालिका परिषद बलरामपुर, जनपद-बलरामपुर में विभिन्न स्थानों पर आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य | - तदैव - | 206.78 | 206.71 | 103.00 | 103.71 | 103.71 |
| 6 | नगर पंचायत बिलासपुर, जनपद-गौतमबुद्धनगर में विभिन्न स्थानों पर आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य | - तदैव - | 196.98 | 196.71 | 98.00 | 98.71 | 98.71 |
| योग | | | 1122.75 | 1119.34 | 562.00 | 557.34 | 557.34 |


नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकायों द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी /सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। निकायों द्वारा स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यों पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है। आहरित धनराशि किसी अन्य डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
- (2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- (4) योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-3355/नौ-5-2025-63सा/2025 दिनांक 10 जून, 2025 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा।
- (5) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।
- (6) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।
- (7) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें।
- (8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (9) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- (10) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।
- (11) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा। कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
- (12) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए वर्क ऑर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही निकाय द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु व्यय की जायेगी।

2- इस संबंध में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,57,34,000 (रुपये पाँच करोड़ सत्तावन लाख चौतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2215021070300 सीवरेज एवं जलनिकासी हेतु व्यवस्था मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(देवेश मिश्र),
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 558(1) /2026/ नौ-5-2025/008-Com.No.-1871401, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
- 2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
- 3- संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- संबंधित कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, उत्तर प्रदेश।
- 5- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 6- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
- 8- निजी सचिव, माननीय मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 9- सूपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 10- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,



(देवेश मिश्र),

संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-09/01/2026


प्रेषण संख्या:- 558
आवंटन आदेश संख्या:- 001-558-2026-9-5-2026-008-CN-1871401
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
107 - मल - जल सेवाएं
03 - सीवरेज एवं जलनिकासी हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम | | 35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान | योग |
|-------|--|-----------------|---|-----------------------|
| 1 | मुज़फ्फर नगर-4183-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान प्रगामी | 9810000 82918000 | 9810000 82918000 |
| 2 | मेरठ-4183-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान प्रगामी | 9680000 81050000 | 9680000 81050000 |
| 3 | मथुरा-4183-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान प्रगामी | 9899000 128014000 | 9899000 128014000 |
| 4 | रामपुर-4183-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान प्रगामी | 6103000 62076000 | 6103000 62076000 |
| 5 | गौतमबुद्ध नगर-4183-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान प्रगामी | 9871000 50666000 | 9871000 50666000 |
| 6 | बलरामपुर-4183-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान प्रगामी | 10371000 81564000 | 10371000 81564000 |
| | योग | वर्तमान प्रगामी | 55734000 486288000 | 55734000 486288000 |

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पाँच करोड़ सत्तावन लाख चौतीस हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया अड़तालीस करोड़ बासठ लाख अठासी हजार


(कल्याण बनर्जी)
विशेष सचिव